न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर,टोंक

प्रकरण संख्या 47/2020

गोंपीराम अग्रवाल आर टी आई रिसर्च सेन्टर बांसवाडा राज.

——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा कलेक्टर टोंक

——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 12—11—2020

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई थी :—

माननीय उच्च न्यायालय जयपुर बेंच में डी.बी. सिविल रीट पिटिशन (पी. आई.एल.) नम्बर 10819/2018 जगदीश प्रसाद मीणा बनाम राजस्थान सरकार आदेश दिनांक 30—01—2019 के पष्ट 3 का निम्न पैरा का अवलोकन/ पालना कराए जाने की सूचना।

Chief secretary of the state to devise a permanent mechanism, which should be operational in every district of the state where the concerned District collector should be requried to periodically norify for the information of the general public to lodge the complaints / repersentations with regard to such encroachments with a specially designated public land protection cell (for short 'PLPC') for rural areas it was further directed by this court that PLPC should be headed by District collector and function under his direction and supervision. Further direction for the manner in which the PLPC is to function.

अपीलार्थी को उक्त वर्णित आवेदित सूचना समयावधि समाप्त हो जाने के उपरान्त भी उपलब्ध न करवाये जाने पर यह अपील अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा आवेदक को

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2020.12.09 17:41:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

निर्धारित समयावधि में जवाब नहीं भिजवाने के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा कलक्ट्रेट,टोंक से रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी कलक्ट्रेट टोंक से प्राप्त जवाब अनुसार उनके पत्र कमांक 4742 दिनांक 20-10-2020 से आवेदक को सूचना के सम्बन्ध में जवाब भिजवाया जा चुका है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य प्रतीत होती है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी (राजस्व शाखा) कलक्ट्रेट,टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(गौरव अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलक्टर टोंक

जिला कलक्टर
टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2020.12.09 17:41:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner